जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2 ()जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2025/डी– **दिनांकः–**

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 210वीं बैठक दिनांक 15.05.2025 को सायं 05:00 बजे श्रीमती आनन्दी, जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	210:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 209वीं बैठक दिनांक 17.04.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 209वीं बैठक दिनांक 17.04.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए।
2.	02	210:2	बजट घोषणा 2024–25 के बिन्दु संख्या 154 ''प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिजो के रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट इन्टप्रेटेशन एवं कोपेसिटी बिल्डिंग हेतु 60 करोड रूपये लागत से जयपुर मे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एण्ड मिनरन्स स्थापित किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा बजट घोषणा 2024–25 के बिन्दु संख्या 154 ''प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिजो के रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट इन्टप्रेटेशन एवं कोपेसिटी बिल्डिंग हेतु 60 करोड रूपये लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एण्ड मिनरन्स स्थापित किये जाने हेतु विद्याधर नगर के सैक्टर–10 में संस्थानिक योजना के भूखण्ड में से 3016 व.मी. भूमि एजेण्डा नोट आवंटन हेतु प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर विद्याधर नगर के सैक्टर–10 में संस्थानिक योजना के भूखण्ड में से 3016 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
3.	02	210:3	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण शाखा कार्यालय जयपुर के लिये भूमि आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण शाखा कार्यालय जयपुर के लिये भूमि आवंटन किये जाने हेतु विद्याधर नगर के सैक्टर–10 में संस्थानिक योजना के भूखण्ड में से 1860.66 व.मी. भूमि आवंटन का एजेण्डा प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर विद्याधर नगर के सैक्टर–10 में संस्थानिक योजना के भूखण्ड में से 1860.66 व.मी. भूमि केन्द्र सरकार के विभागों को आवंटन के संबंध में नगरीय विकास विभाग के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.05.22 10:38:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15455393

				आदेश दिनांक 30.06.2021 के बिन्दु सं. 12 की अनुपालना में आवासीय आरक्षित दर + 15 प्रतिशत दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
4.	09	210:4	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 131 क्षेत्रफल 500 व.ग.(418.06 वर्ग मीटर) के साथ भूखण्ड के पीछे मौके पर बढा हुआ क्षेत्रफल 80.18 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत।	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 131 से 134 भूखण्ड के पीछे मौके पर बढा हुआ क्षेत्रफल भूमि के आवंटन के प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के दौरान जोन द्वारा अवगत करवाया गया कि एलपीसी की 206 वीं बैठक दिनांक 20.01. 2025 के निर्णय की पालना में बढा हुआ क्षेत्रफल के साथ लगते हुए भूखण्डधारियों को आवेदन किये जाने संबंधी नोटिस जारी किया गया जो कि रजिस्टर्ड डाक से जारी होने के पश्चात् भी अप्राप्त की स्थिति तथा भूखण्ड संख्या 133 के प्रकरण में पीछे स्थित भूखण्ड संख्या 123 के भूखण्डदारी श्रीमती नीतू रामरखियानी के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त सभी भूखण्डो के लिये प्रकरण में 15 दिवस की अवधि हेतु दैनिक समाचार पत्रों में आम सूचना जारी की जावे। उक्त अवधि के दौरान आपत्ति प्राप्त होने पर सीमित नीलामी के माध्यम से बढे हुए क्षेत्रफल का निर्णय किया गया।
5.	9	210:5	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 132 क्षेत्रफल 500 व.ग.(418.06 वर्ग मीटर) के साथ भूखण्ड के पीछे मौके पर बढा हुआ क्षेत्रफल 82.48 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत।	
6.	9	210:6	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 133 क्षेत्रफल 500 व.ग.(418.06 वर्ग मीटर) के साथ भूखण्ड के पीछे मौके पर बढा हुआ क्षेत्रफल 80.42 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत।	
7.	9	210:7	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 134 क्षेत्रफल 500 व.ग.(418.06 वर्ग मीटर) के साथ भूखण्ड के पीछे मौके पर बढा हुआ क्षेत्रफल 75.12 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत।	
8.	10	210:8	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर– प्रथम द्वारा जयपुर शहर के पुराने एवं जब्त मोटर वाहनों की पार्किंग (सीजर यार्ड) हेतु भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर– प्रथम द्वारा जयपुर शहर के पुराने एवं जब्त मोटर वाहनों की पार्किंग (सीजर यार्ड) हेतु भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन क्षेत्राधिकार में किसी अन्य स्थान की तलाश की जाकर प्रकरण समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जावे। सीजर यार्ड को उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि में स्थाई निर्माण आवश्यक नहीं होगा। अत : ऐसी भूमि के संबंध में जविप्रा एवं परिवहन विभाग के मध्य एमओयू किया जाऐगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2025.05.22 10:38:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15455393

9.	10	210:9	श्री लेखराम (19 वे एशियन गेम विजेता–2022) मेडल धारक (औलम्पिक/पेरा औलम्पिक में पदक, एशियाड/ कॉमन वैल्थ में पदक), राष्ट्रपति अवार्डी को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17 ए के तहत जविप्रा की गोविन्द विहार आवासीय योजना में 216 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लाटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17 ए के तहत (19 वे एशियन गेम विजेता–2022) मेडल धारक (औलम्पिक/पेरा औलम्पिक में पदक, एशियाड/ कॉमन वैल्थ में पदक), राष्ट्रपति अवार्डी को 220 वर्ग मीटर तक का भूखण्ड निःशुल्क आवंटन के प्रावधान अनुसार जविप्रा के आदेश दिनांक 04.09.2024 के कम में जोन द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना गोविन्द विहार में आवेदक की सहमति अनुसार चिन्हित भूखण्डों में से कोई एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से श्री लेखराम (19 वें एशियन गेम विजेता–2022) को निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया। आवंटन पत्र जारी किये जाने से पूर्व आवेदक से राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के तहत कोई भूखण्ड आवंटन नहीं हुआ है, बाबत शपथ पत्र एवं 19 वे एशियन गेम विजेता–2022 संबंधित दस्तावेज लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
10.	10	210:10	1. श्री जाकर खान 2. श्री रवि राठौड़ 3. श्री अनिरूद्ध प्रताप सिह 4. श्री सतेन्द्र सिंह 5. श्री अनन्त सिंह 6. श्री अर्जुन लाल जाट 7. श्री राजेन्द्र प्रसाद जाट 19 वें एशियन गेम विजेता–2022) मेडल धारक (औलम्पिक/पेरा औलम्पिक में पदक, एशियाड/ कॉमन वैल्थ में पदक एवं शौर्य चक विजेता) को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17 ए के तहत जविप्रा की गोविन्द विहार आवासीय योजना में 216 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लाटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17 ए के तहत (19 वे एशियन गेम विजेता–2022) मेडल धारक (औलम्पिक/पेरा औलम्पिक में पदक, एशियाड /कॉमन वैल्थ में पदक), राष्ट्रपति अवार्डी को 220 वर्ग मीटर तक का भूखण्ड निःशुल्क आवंटन के प्रावधान अनुसार जविप्रा के आदेश दिनांक 04.09.2024 के कम में जोन द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना गोविन्द विहार मे प्रत्येक अवार्डी एवं पदक विजेता को सहमति अनुसार चिन्हित भूखण्डों में से कोई एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से 1. श्री जाकर खान 2. श्री रवि राठौड़ 3. श्री अनिरूद्ध प्रताप सिह 4. श्री सतेन्द्र सिंह 5. श्री अनन्त सिंह 6. श्री अर्जुन लाल जाट 7. श्री राजेन्द्र प्रसाद जाट को निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया। आवंटन पत्र जारी किये जाने से पूर्व आवेदक से राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के तहत कोई भूखण्ड आवंटन नहीं हुआ है, बाबत शपथ पत्र एवं पदक विजेता एवं अवार्ड से संबंधित

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.05.22 10:38:29 IST
Reason: Approved

				दस्तावेज लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
11.	11	210:11	सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–80 क्षेत्रफल 550 वर्ग मीटर के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया में श्री कजोडमल शर्मा पुत्र स्व. श्री जयनारायण शर्मा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस– 80 क्षेत्रफल 550 वर्ग मीटर के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर नाले से प्रभावित भूखण्ड का विनिमय में नियमानुसार आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देश दिये गये किः– • नाले से प्रभावित क्षेत्र का आंकलन किया जावे। भूखण्ड संख्या एस–80 पर जविप्रा का कब्जा सुनिश्चित कर नाले से प्रभावित शेष रहे भाग पर अन्य कोई भूमि का आवंटन/नीलामी की सिफारिश के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करें। • नाले से प्रभावित होने के आधार पर भूखण्ड संख्या एस–80 के साथ लगते हुए अन्य भूखण्डों की नाप/सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार की जावे ताकि अन्य समान भूखण्डों के विनिमय के संबंध भी समानान्तर निर्णय किया जा सके।
12.	11	210:12	सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालड़ी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस– 192–सी क्षेत्रफल 1003.37 वर्ग मीटर के स्थान पर मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल 1264.66 वर्ग मीटर होने से बढा हुआ क्षेत्रफल 261.29 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालड़ी परसा में श्री अरिहन्त पालावत पुत्र श्री अरूण पालावत के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस– 192–सी क्षेत्रफल 1003.37 वर्ग मीटर के स्थान पर मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल 1264.66 वर्ग मीटर होने से बढा हुआ क्षेत्रफल 261.29 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार– विमर्श कर आवेदक को पूर्व में बढा हुआ क्षेत्रफल आवंटित किया जा चुका है। अतः कार्नर क्षेत्रफल 1003.37 वर्ग मीटर आवेदक को देते हुए व शेष 261.29 वर्ग मीटर पर स्वतंत्र भूखण्ड सृजित कर नीलामी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने बाबत् उपायुक्त को निर्देशित किया गया।
13.	11	210:13	सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस– 278–सी क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर के स्थान पर क्षेत्रफल 50.25 वर्ग मीटर होने से बढा हुआ क्षेत्रफल 5.25 वर्ग	उपायुक्त जोन द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस– 278–सी क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर के स्थान पर क्षेत्रफल 50.25 वर्ग मीटर होने से बढा हुआ क्षेत्रफल 5.25 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.05.22 10:38:29 IST
Reason: Approved

			मीटर भूमि आवंटन बाबत।	समिति द्वारा विचार– विमर्श कर नियमानुसार बढा हुआ क्षेत्रफल 5.25 वर्ग मीटर राजस्थान डिस्पोजल रूल्स नियम–1974 एवं एलपीसी की 120वीं बैठक दिनांक 02.11.2015 के निर्णय के अनुसार आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
14.	11	210:14	सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–1012 सी क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर के स्थान पर मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल 115.50 वर्ग मीटर होने से बढा हुआ क्षेत्रफल 25.50 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द में श्रीमती सावित्री देवी चौधरी पत्नी श्री सुगन सिंह के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–1012 सी क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर के स्थान पर मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल 115.50 वर्ग मीटर होने से बढा हुआ क्षेत्रफल 25.50 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार– विमर्श कर नियमानुसार बढा हुआ क्षेत्रफल 25.50 वर्ग मीटर राजस्थान डिस्पोजल रूल्स नियम–1974 एवं एलपीसी की 120वीं बैठक दिनांक 02.11.2015 के निर्णय के अनुसार आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
15.	12	210:15	ग्राम बड़ी का खेड़ा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 35 रकबा 3.20 हैक्टेयर में से 1.41 हैक्टेयर खसरा नं. 64 रकबा 0.35 हैक्टैयर में से 0.30 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 65 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर भूमि एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) हेतु आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा ग्राम बड़ी का खेड़ा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 35 रकबा 3.20 हैक्टेयर में से 1.41 हैक्टेयर खसरा नं. 64 रकबा 0.35 हैक्टैयर में से 0.30 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 65 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर भूमि एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स(ANTF) को आवंटन हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार– विमर्श कर एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) हेतु ग्राम बड़ी का खेड़ा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 35 खसरा नं. 64 खसरा नम्बर 65 कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर भूमि में से 1.00 हैक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।
16.	13	210:16	बजट घोषणा 2024–25 में अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड सी ग्रामीण), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर को 132 के वी कानोता विघुत ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु राजस्व ग्राम–	उपायुक्त जोन द्वारा बजट घोषणा 2024–25 में अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड सी ग्रामीण), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर को 132 के वी कानोता विद्युत ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु राजस्व ग्राम– हरचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला, तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 171/3 रकबा 32.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.05.22 10:38:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15455393

			हरचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला, तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 171/3 रकबा 32.1815 हैक्टेयर (नवीन खसरा नम्बर 213/171 रकबा 14. 0965 हैक्टेयर) किस्म चारागाह, बारानी– 2, बंजड़–2 में से 2.50 हैक्टेयर भूमि आवंटन बाबत।	1815 हैक्टेयर (नवीन खसरा नम्बर 213/171 रकबा 14.0965 हैक्टेयर) किस्म चारागाह, बारानी– 2, बंजड़–2 मे से 2.50 हैक्टेयर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार– विमर्श कर अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड सी ग्रामीण), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर को 132 के वी कानोता विद्युत ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु राजस्व ग्राम– हरचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला, तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 171/3 (नवीन खसरा नम्बर 213/171) किस्म चारागाह, बारानी– 2, बंजड़–2 में से 2.50 हैक्टेयर भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
17.	14	210:17	आवेदक मैसर्स लांगड़ी बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स जरिये प्रोपराईटर श्री मनराज लांगड़ी पुत्र श्री फूलचन्द लांगड़ी द्वारा स्वयं की निजी खातेदारी की भूमि ग्राम बाड़ापदमपुरा तह. चाकसू के खसरा नम्बर 647 रकबा 0.86 हैक्ट. को जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 499 रकबा 0.33 हैक्ट. किस्म बारानी – 3 में से 12 मीटर का पहुँच मार्ग अनुमत करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा मैसर्स लांगड़ी बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स जरिये प्रोपराईटर श्री मनराज लांगड़ी पुत्र श्री फूलचन्द लांगड़ी द्वारा स्वयं की निजी खातेदारी की भूमि ग्राम बाड़ापदमपुरा तह. चाकसू के खसरा नम्बर 647 रकबा 0.86 हैक्ट. को जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 499 रकबा 0.33 हैक्ट. किस्म बारानी – 3 में से 12 मीटर का पहुँच मार्ग अनुमत करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा उक्त प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति से संबंधित नहीं होने के कारण जोन उपायुक्त को नगरीय विकास विभाग के आदेश/परिपत्रो के अनुसार के नियमानुसार पालना के निर्देश दिये गये।
18.	14	210:18	जविप्रा की रिंग रोड योजना में आवंटित भूखण्डों का दोहरा आवंटन होने एवं टोल प्लाजा से प्रभावित होने के कारण उक्त भूखण्डों के स्थान पर विनिमय द्वारा अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा जविप्रा की रिंग रोड योजना में आवंटित भूखण्डों का दोहरा आवंटन होने एवं टोल प्लाजा से प्रभावित होने के कारण उक्त भूखण्डों के स्थान पर विनिमय द्वारा अन्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार– विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डे में उल्लेखित 17 आवेदकों को पूर्व में भूखण्ड आवंटन नही होने की सुनिशचित्ता करते हुए समतुल्य–सममूल्य के आधार पर पूल बनाकर प्रस्तावित भूखण्डों में से नियमानूसार लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.05.22 10:38:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15455393

19.	14	210:19	जविप्रा की रिंग रोड परियोजना के ट्रांसपोर्ट कोरिडोर में परिवर्तन से प्रभावित भूखण्डों के स्थान पर नवीन भूखण्ड आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा जविप्रा की रिंग रोड परियोजना के ट्रांसपोर्ट कोरिडोर में परिवर्तन से प्रभावित भूखण्डों के स्थान पर नवीन भूखण्ड आवंटन करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार– विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डे में उल्लेखित आवेदकों को पूर्व में आवंटन नही होने की सुचिश्चित्ता करते हुए पूर्वसमतुल्य–सममूल्य के आधार पर पूल बनाकर प्रस्तावित भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
20.	14	210:20	ग्राम चन्दलाई तह. चाकसू के खसरा नं. 6751/5880 रकबा 1.24 हैक्टे. किस्म बॅजड़– 2, खसरा नं. 5881 रकबा 2.51 हैक्टे. किस्म चारागाह, 5882 रकबा 6.51 है. किस्म चारागाह कुल किता 3 कुल रकबा 10.26 है. में से 4.00 है. भूमि सांगानेर विधानसभा के बम्बाला क्षेत्र में सीवरेज सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 78 एमएलडी एसटीपी प्लांट हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा ग्राम चन्दलाई तह. चाकसू के खसरा नं. 6751/5880 रकबा 1.24 हैक्टे. किस्म बॅजड़– 2, खसरा नं. 5881 रकबा 2.51 हैक्टे. किस्म चारागाह, 5882 रकबा 6.51 है. किस्म चारागाह कुल किता 3 कुल रकबा 10.26 है. में से 4.00 है. भूमि सांगानेर विधानसभा के बम्बाला क्षेत्र में सीवरेज सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 78 एमएलडी एसटीपी प्लांट हेतु आवंटन हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार– विमर्श कर ग्राम चन्दलाई तह. चाकसू के खसरा नं. 6751/5880 रकबा 1.24 हैक्टे. किस्म बॅजड़– 2, खसरा नं. 5881 रकबा 2.51 हैक्टे. किस्म चारागाह, 5882 रकबा 6.51 है. किस्म चारागाह कुल किता 3 कुल रकबा 10.26 है. में से 4.00 है. भूमि एसटीपी प्लांट हेतु दी जाने वाली भूमि का स्वामित्व जविप्रा का रहने की शर्त के आधार पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
21.	14	210:21	जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम बरखेड़ा तह. चाकसू के खसरा नं. 1739 रकबा 2.92 है. किस्म चारागाह में से 3000.00 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित 30 मीटर सड़क पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को जयपुर शहर में पुराने एवं जब्त मोटर वाहनों की पार्किंग हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम बरखेड़ा तह. चाकसू के खसरा नं. 1739 रकबा 2.92 है. किस्म चारागाह में से 3000.00 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित 30 मीटर सड़क पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को जयपुर शहर में पुराने एवं जब्त मोटर वाहनों की पार्किंग हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार– विमर्श कर ग्राम बरखेड़ा तह. चाकसू के खसरा नं. 1739 रकबा 2.92 है. किस्म चारागाह में से 3000.00 वर्ग मीटर भूमि परिवहन विभाग को भूमि के उपयोग हेतु अस्थायी रूप से आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया। सीजर यार्ड को उपलब्ध कराई जाने वाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2025.05.22 10:38:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15455393

				भूमि में स्थाई निर्माण आवश्यक नहीं होगा। अत : ऐसी भूमि के संबंध में जविप्रा एवं परिवहन विभाग के मध्य एमओयू किया जाऐगा। भूमि का स्वामित्व जविप्रा के नाम ही रहेगा।
22.	14	210:22	जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम चन्दलाई तह. चाकसू के खसरा नं. 4222 रकबा 1.83 है. में से 4000 व. मी. भूमि (जोनल प्लान की प्रस्तावित 30 मीटर सड़क पर) महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चन्दलाई, चाकसू, जयपुर के भवन निर्माण हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम चन्दलाई तह. चाकसू के खसरा नं. 4222 रकबा 1.83 है. में से 4000 व.मी. भूमि (जोनल प्लान की प्रस्तावित 30 मीटर सड़क पर) महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चन्दलाई, चाकसू, जयपुर के भवन निर्माण हेतु आवंटन हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार– विमर्श कर ग्राम चन्दलाई तह. चाकसू के खसरा नं. 4222 रकबा 1.83 है. में से 4000 व.मी. भूमि (जोनल प्लान की प्रस्तावित 30 मीटर सड़क पर) महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चन्दलाई, चाकसू, जयपुर के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष महोदया की अनुमति से निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्ड़ा पर विचार–विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये।				
23.	4	210:23	एलपीसी की बैठक दिनांक 01.09. 2023 की प्रस्तवा संख्या 186:3 एवं 186:4 के क्रम में लिए गये निर्णय के पुनरावलोकन एवं निरस्तीकरण के संबंध में।	एलपीसी की बैठक दिनांक 01.09.2023 की प्रस्तवा संख्या 186:3 एवं 186:4 के क्रम में लिए गये निर्णय के पुनरावलोकन एवं निरस्तीकरण क संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सचिव, जविप्रा के आदेश दिनांक 26.02. 2025 से अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय कमेटी के निर्णय दिनांक 24. 04.2025 के आधार पर जविप्रा के नाम दर्ज भूमि का खातेदारों की भूमि के साथ विनिमय विधिक रूप से सही नहीं होने तथा प्रश्नगत भूमि का अपंजीकृत विक्रयनामें से किया गया सम्पति हस्तान्तरण विधिसम्मत नहीं होने के कारण समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 01.09.2023 को समिति के समक्ष किया गया प्रस्ताव एवं निर्णय जविप्रा के हित में नहीं होने के कारण किये गये निर्णय को निरस्त किया गया तथा इस संबंध में उपायुक्त जोन को आवश्यक कार्यवाही करते हुए नगरीय विकास विभाग को भी सूचित किये जाने का निर्णय किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.05.22 10:38:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15455393

जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–I, II, III,IV/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरू मार्गए जयपुर.302
दूरभाष.क्ष्91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू क्ष्7019द्वरू फैक्स.. 91.141.25
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.05.22 10:38:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15455393